परिशिष्ट–अ

कार्यालय –प्राचार्य/नोडल अधिकारी

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद

जिला–. बालोद (छ0ग0) पिन कोड– 491226

Industrial Training Institute

Phone no- 07749-299530 ईमेल–**itibld@rediffmail.com**

क्रमांक –औप्रसं/.बालोद/स्थाप./मेह.प्र/2026 / 507 /बालोद, दिनांक 02.06.2026

//विज्ञप्ति//

इस नोडल संस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्र.2025-26 के लिए व्यवसाय कोपा, विद्युतकार, मशीनिष्ट, ड्राईवर कम मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, वर्कशाप कैल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित व्यवसाय/विषय के प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2026 समय शाम 05:30 तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद जिला बालोद (छ.ग.) में आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद जिला बालोद (छ.ग.) में निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही जमा कर सकते है। विज्ञापन का विवरण इस संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद जिला बालोद (छ.ग.) से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिला कार्यालय बालोद, जिला बालोद की वेबसाईड www.balod.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Digitally signed by Shailesh Thomas
Date: 02-06-2026 15:50:51

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

परिशिष्ट-ब

कार्यालय –प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद
जिला–. बालोद (छ0ग0) पिन कोड– 491226
Phone no- 07749-299530
ईमेल–itibld@rediffmail.com

Industrial Training Institute

क्रमांक -औप्रसं/.बालोद/स्थाप./मेह.प्र/2026 / 508 /बालोद, दिनांक 02.06.2026

// विज्ञापन //

संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़,अटल नगर,नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु अद्यतन जारी आदेश/निर्देश तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग क्षेत्र दुर्ग के अनुमोदन अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बालोद के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला-बालोद में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरूद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2025-26 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.06.2026 को समय शाम 05:30 बजे तक है। आवेदकों द्वारा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जायेगे। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त/जमा आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

संस्थावार/व्यवसायवार/विषयवार मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु रिक्त पदों की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है:-

1. रिक्त पदों की जानकारी:–

सरल क्रमांक	व्यवसाय/विषय का नाम	संस्थावार रिक्त पदो की संख्या				
		औप्रसं बालोद	औप्रसं.सुरेगांव	औप्रसं डौण्डीलोहारा	औप्रसं गुण्डरदेही	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	विद्युतकार	-	1	-	-	01
2	मशीनिष्ट	-	-	1	-	01
3	ड्राईवर कम मैकेनिक	-	-	1	-	01
4	मैकेनिक डीजल	-	-	1	-	01
5	वर्कशाप कैल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	-	-	1	1	02
6	कोपा	1	1	-	-	02

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्रमांक	व्यवसाय/विषय का नाम	शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	विद्युतकार	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/

		राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । ए.टी. आई/सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.आई/आई.टॉट उत्तीर्ण को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
2	ड्राईवर कम मैकेनिक	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग में या समतुल्य संकाय उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । (3) हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध लायसेंस होना अनिवार्य है । ए.टी. आई/सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.आई/आई.टॉट उत्तीर्ण को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
3	मैकेनिक डीजल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । (3) हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध लायसेंस होना अनिवार्य है । ए.टी. आई/सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.आई/आई.टॉट उत्तीर्ण को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4	वर्कशाप कैल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राईग	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । ए.टी.आई/सी.टी.आई/एन. व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.आई/आई.टॉट उत्तीर्ण को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
5	मशीनिष्ट	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैन्यूफक्चरिंग इंजिनियंरिग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । ए.टी.आई/सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.

		आई/आई.टॉट उत्तीर्ण को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
6	कोपा	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर सांईस इंजिनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएसीसी) से ''ए'' स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए। ए.टी.आई/सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.आई/आई.टॉट उत्तीर्ण को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रकिया :–

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये ए.टी.आई/सी.टी.आई आवश्यक है, उन पदों के लिये संबंधित व्यवसाय/विषय में एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई.(**CITS/NCIC**) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।

2. एक वर्षीय ए.टी.आई/सी.टी.आई (**CITS/NCIC**) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैद्य (परमानेंट) लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र वैद्य (परमानेंट) लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह संस्था द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।

5. किसी व्यवसाय में विज्ञापित पदों की संख्या के अतिरिक्त मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिए जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेंगे। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं है तो अन्य जिले के प्रतीक्षा सूची से पूर्ति करने के लिए क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।

6. व्यवसाय स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेट (अंग्रेजी) के लिये प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। **इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी।**

7. इसी प्रकार एम्प्लॉएबिलिटी स्किल में प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।

04 **नियम एवं शर्तें :-**

1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारुप कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी,शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बालोद. जिला-बालोद (छ.ग.)से प्राप्त किया जा सकता है या संस्था की वेबसाइड www.balod.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रारुप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुवाच्यरूप से बिना कांट-छांट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बालोद जिला- बालोद (छ.ग.) पिन कोड 491226 (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित) केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही प्रेषित किया जाना है।
   आवेदक द्वारा लिफाफे के ऊपर व्यवसाय/विषय का नाम (जिस व्यवसाय/विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है) एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर पूर्ण रूप से आवेदन भरकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही प्रेषित/जमा करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक नोडल शासकीय आई.टी.आई बालोद के कार्यालय में स्पीड पोष्ट/पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदनों पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
4. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
5. आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छ.ग.निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)
6. संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़,अटल नगर,नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु अद्यतन जारी आदेश/निर्देशानुसार संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुभव आवश्यक नहीं है
7. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये संबंधित व्यवसाय/विषय में एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई, (CITS/ NCIC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जाएगी। CITS/NCIC उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर कार्यवाही की जाएगी।
8. राज्य व्यवसायिक परीक्षा (एससीव्हीटी) उत्तीर्ण आवेदकों को संबंधित व्यवसाय/विषय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. व्यवसाय स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेट (अंग्रेजी) के लिये प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
10. इसी प्रकार एम्प्लॉएबिलिटी स्किल के लिये प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।
11. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।

12. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारुप में केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदन नियत तिथि एवं समय के पश्चांत/विलंब से प्राप्त होने पर संस्था जवाबदार नहीं होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जाएगे।
13. आवेदक, एक से अधिक पदों/एक से अधिक संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हे इस हेतु पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
14. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। (उनकी अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
15. चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। चयन सूची नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद जिला बालोद (छ.ग.) के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी।
16. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेरिट सूचियों का अनुमोदन पश्चात ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन में उल्लेखित मोबाईल/दूरभाष नं. पर ही दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हे दूरभाष पर ही आमंत्रण स्वीकार करना होगा, उन्हे किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावेगा ना ही दिया जावेगा।
17. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी।
18. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिाति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी।
19. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 140.00 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे के मानदेय का प्रावधान है एवं प्रति माह अधिकतम रुपये 15000.00(अक्षरी.पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
20. आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
21. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रुप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का उसी समय उसका शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा।
22. चयन प्रक्रिया के पश्चात् मेहमान प्रवक्ता पद पर आमंत्रित आवेदक अपने कार्य पर उपस्थित होने पर आवेदन में दिये शपथ पत्र अनुसार 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
23. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उन्हे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
24. मेरिट/चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जावेगा। किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जावेगा।
25. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग का निर्णय अंनतिम एवं बंधनकारी होगा।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद
जिला-बालोद(छ.ग.)

परिशिष्ट-स

आवेदन का प्रारूप

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1.शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नामः-...................................
(जिस संस्था के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)
2.व्यवसाय/विषय का नाम :-...................................
(जिस व्यवसाय/विषय के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)

प्रति,

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)
पिन कोड-491226

आवेदक अपना स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

01 आवेदक का नाम : ....
02 पिता/पति का नाम : ....
03 माता का नाम : ....
04 जन्म तिथि (अंकों में) : ....
(शब्दों में) : ....
05 आवेदक की श्रेणी : ....
(सामान्य/अनु. जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
05 पत्र व्यवहार का पूरा पता : ....
....
......................पिन कोड-............
06 दूरभाष/मोबाईल नं. : ....
07 ईमेल आईडी : ....
08 स्थायी निवास का पूरा पता : ....
....
.... पिन कोड-........

11 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :

क्रमांक	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	मण्डल/बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय/व्यवसाय का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

क्रमशः 2 पर

09 क्या आप संबंधित व्यवसाय/विषय से एकवर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. (सीआईटीएस / एनसीआईसी) प्रमाण पत्र धारी है ? (हॉं/नहीं) : ....
यदि हॉं तो उसकी अंक सूची/प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

10 क्या आप हल्के मोटरयान(एल.एम.व्ही)का वैद्य (परमानेंट) लाइसेंस धारी है? (हॉं/नहीं) : ....
यदि हॉं तो प्रमाण पत्र (वैद्य परमानेंट लाइसेंस)की छायाप्रति संलग्न करें।

नोट :- 1. प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे ।
2. आवेदन जिला-नोडल संस्था के नाम के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते है ।
3. आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4. छ.ग.का मूल निवासी होने का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक...............
स्थान................

आवेदक के हस्ताक्षर..................
पूरा नाम................................
पूरा पता................................
....
मोबाईल नम्बर..........................

//शपथ-पत्र //

मैं (आवेदक का नाम)................पिता/पति ....पता....................................
.... यह शपथ प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ कि :-

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत/संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अथवा प्रस्तुत/संलग्न प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा मेरा यह चयन आवश्यकतानुसार या इस सत्र के लिये या नियिमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगा/रहेगी। इसके लिये मैं सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाउंगा/जाउंगी तथा उसी समय मेरा शेष अन्य संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।
6. मैं किसी भी प्रकार के अपराधिक प्रकरण में संलिप्त नहीं हूँ अथवा यदि मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता अथवा दाण्डीक अथवा अनुशानहीनता की जानकारी बाद में भी प्राप्त होने पर मुझे मेहमान प्रवक्ता के कार्य से हटा दिया जावेगा जो मुझे मान्य होगा।
7. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/ निर्देशों तथा नियमों का पालन करने बाध्य रहूंगा/रहुगी।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.. 2..
3.. 4...
5.. 6...
7...8...

दिनांक............... आवेदक के हस्ताक्षर.............
स्थान................ पूरा नाम................................

पूरा पता................................

....

मोबाईल नम्बर..........................